न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 84 / 2025 वाद दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. चुन्नीलाल पिता लोभचन्द जाति जाट आयु वयस्क निवासी भट्टो का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. पुष्पा देवी पत्नी भुवनेश भट्ट आयु वयस्क निवासी भट्टो का बामनिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र तुलिछया —वादी
अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी —प्रतिवादी सं0 1

–ः वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट ः–

निर्णय दिनांकः 26.11.2025

–ःनिर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा भट्टों का बामनिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ0नं0 1060, 1061, 1062 कुल किता 03 कुल रकबा 1.12 हैक्ट0 स्थित है जिससे मुझ वादी व प्रतिवादी का 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा हम पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की संयुक्त कब्जे काश्त की है। व निवेदन किया कि पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीया के विभाजन की डिक्री इस अमर की जारी फरमायी जावें कि वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 1060, 1061, 1062 कुल किता 03 कुल रकबा 1.12 हैक्ट0 आराजी का विभाजन कराया जाकर प्रत्येक को 1/2–1/2 हिस्से से मौके पर कब्जा अनुसार अलग अलग कब्जा दिलाया जावें तथा इसी अनुसार अलग अलग जमाबन्दी कायम की जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी का अधिकार पत्र मय जवाब दावा प्रस्तुत जो शा0फा0 है।

उक्त वाद पत्र में दिनांक 13.06.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 03.11.2025 से प्रस्तुत की गई। वहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 26.11.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा भट्टों का बामनिया तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आ0नं0 1060, 1061, 1062 कुल किता 03 कुल रकबा 1.12 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 03.11.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. चुन्नीलाल पिता लोभचन्द जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	1060	0.48
2	1061/1	0.08
योग	कुल किता 02	0.56

2. पुष्पा देवी पत्नी भुवनेश भट्ट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	1061/2	0.09
2	1062	0.47
योग	कुल किता 02	0.56

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) कपासन

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन